

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1717]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2016/आषाढ़ 21, 1938

No. 1717]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2016/ASADHA 21, 1938

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

**का.आ. 2357(अ).**-- केन्द्रीय सरकार, आधार, (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 जुलाई, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 11 से धारा 20, धारा 22 से धारा 23 और धारा 48 से धारा 59 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 13012/64/2016/विधि/यूआईडीएआई]

संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12<sup>th</sup> July, 2016

**S.O. 2357(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby appoints the 12 day of July 2016, as the date on which the provisions of sections 11 to 20, 22 to 23 and sections 48 to 59 of the said Act shall come into force.

[F. No. 13012/64/2016/Legal/UIDAI]

SANJIV MITTAL, Jt. Secy.

3464 GI/2016